



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 1988/अग्रहायण 10, 1910

No. 628]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 1988/AGRAHAYANA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

**कृषि संज्ञासूची**

(कृषि और सहकारिता विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1988

सं. प्र. 1135 (अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, अपनी यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्मों घोषित करती है।

**सारणी**

क्रम सं.	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	एम.पी.-124 (आई.सी.टी.पी. 8203)	बाजरा
2.	एच.एच.डी-60	बाजरा
3.	बी.एल.मदिरा-29	बार्नयार्ड मिलेट

1	2	3
4.	जवाहर कपास-3	कपास
5.	जी. काट संकर-8	कपास
6.	एच.एन-45	कपास
7.	गुजरात नागली-2	रागी
8.	मालवीया मटर-2	मटर
9.	पी.वी.जी-1	चना
10.	पी.जी.जी-19	श्रीनी फास
11.	एल.एल-147	मसूर
12.	मारु मोठ-1	मोठ बीन
13.	गुजरात मकई-1	मकई
14.	दक्खिन संकर मक्का-1	मकई
15.	घबल	मकई
16.	मकई गंगा-11	मकई
17.	पूसा कंपोजिट-1	मकई
18.	पूसा कंपोजिट-2	मकई
19.	सूर्य	मकई
20.	आर.सी.आर-317	रामातल
21.	एग्री फाउंड डीकै रेड	प्याज
22.	आम्बली	सीताफल
23.	हरी	धान

1	2	3
24.	साविदाहन	धान
25.	तुलसी (आई ई टी-7614)	धान
26.	सुरक्षा (आई ई टी-7946)	धान
27.	नत्य	धीन
28.	सलीम	धान
29.	मांड्य बिजया	धान
30.	आर एल 1359	राया
31.	एम एस एफ एच-10	सूर्यमुखी
32.	पन्त टी-3	टमाटर
33.	पंचाली	तोरिया
34.	पी वी डब्ल्यू-154	गेहूं

[सं. 17-4/88-एसडी-4]  
जे. के. अरोड़ा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1988

S.O. 1135(E) :—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act.

TABLE

Serial No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	MP-124 (ICTP-8203)	Bajra
2.	HHB-60	Bjara
3.	VL Madira-29	Barnyard millet
4.	Jawahar Kapas-3	Cotton
5.	G. Cot. Hybrid-8	Cotton
6.	HS-45	Cotton
7.	Gujarat Nagli-2	Finger millet (Ragi)
8.	Malviya Matar-2.	Field Pea
9.	PBG-1.	Gram
10.	PGG-19	Guinea grass
11.	LL-147	Lentil
12.	Maru Moth-1	Moth bean (Dew gram)
13.	Gujarat-Makai-1	Maize
14.	Deccan Hybrid Makka-1	Maize
15.	Dhawal.	Maize
16.	Ganga-1i	Maize
17.	Pusa Composite-1.	Maize
18.	Pusa Composite-2	Maize
19.	Surya	Maize
20.	RCR-317	Niger
21.	Agri Found Dark Red.	Onion
22.	Ambili	Pumpkins
23.	Hari	Paddy
24.	Salivahana	Paddy
25.	Tulsi (IET-7614)	Paddy
26.	Suraksha (IET-7946)	Paddy
27.	Satya	Paddy
28.	Salcem	Paddy
29.	Mandya Vijaya	Paddy
30.	RL-1359	Raya
31.	MSFH-10	Sunflower
32.	Pant-T3	Tomato
33.	Panchali	Toria
34.	PBW--154	Wheat

[No. 17-4/88-SD-IV]

J.K.ARORA, Jt. Secy.